O/C

कार्यालय सिविल जज, रानीखेत

पत्रांक 10 /2023 दिनांक रानीखेत. फरवरी 25 ,2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :– ***जनपद अल्मोड़ा में न्यायालय सिविल जज रानीखेत, अल्मोड़ा के भवनों के निर्माण हेतु 0.98 है. वनभूमि का न्याय विभाग को प्रत्यावर्तन।***
(प्रस्ताव सं0 FP/UK/Other/150277/2021)

सन्दर्भ :– ***आपका पत्रांक 3035/12–1(2) अल्मोड़ा दिनांक 13.12.2022***

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में आपको अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों के बिन्दु सं0–1 के क्रम में वैकल्पिक भूमि की उपलब्धता के संबंध में राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारियों के साथ स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण में ग्राम बगूना तहसील रानीखेत में वैकल्पिक भूमि उपलब्ध पाई गई जो कि निम्न कारणों से निरस्त कर दी गयी–

1– प्रस्तावित भूमि तहसील मुख्यालय रानीखेत से 25 किमी0 की दूरी पर स्थित है जो कि जिला अल्मोड़ा के अन्य तहसीलो/न्यायालयों से काफी दूर है।

2– प्रस्तावित भूमि ढालनूमा आकार में है जो कि भवन निर्माण में काफी खर्चीली प्रतीत होती है।

3– प्रस्तावित भूमि बाजार क्षेत्र से काफी दूर है।

4– प्रस्तावित भूमि के आस–पास पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता नही पाई गई।

अतः अनुरोध है कि न्यायालय भवनों के निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न :– संयुक्त निरीक्षण आख्या।

(हस्ताक्षर) 25/02/2023
सिविल जज
रानीखेत

पत्रांक / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 25/02/2023
सिविल जज
रानीखेत

संयुक्त निरीक्षण आख्या

श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट महोदय अल्मोड़ा के कार्यालय पत्र संख्या 2785/अठारह–जे0ए0(मौ0से0)/2019–20 दिनॉक 23 जनवरी 2023 के अनुपालन में आज दिनॉक 03–02–2023 को सिविल जज रानीखेत के न्यायालय भवन हेतु प्रस्तावित भूमि ग्राम बगूना चक राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र दुगौड़ा तहसील रानीखेत का संयुक्त निरीक्षण न्याय विभाग से सिविल जज जूनियर डिविजन न्यायालय रानीखेत शिवानी नाहर, राजस्व विभाग से तहसीलदार रानीखेत मनीषा मारकाना, राजस्व उप निरीक्षक दुगौड़ा ललित कुमार के संयुक्तरूप से निरीक्षण किया गया।

प्रस्तावित भूमि को निम्न कारणों से अनुपयुक्त मानते हुए प्रस्ताव निरस्त किया जाता है–

1. प्रस्तावित भूमि तहसील मुख्यालय रानीखेत से 25 किमी0 की दूरी पर स्थित है, जो कि जिला अल्मोडा के अन्य तहसीलों/न्यायालयों के सम्पर्क से काफी दूरी पर स्थित है।
2. प्रस्तावित भूमि वर्तमान में ढालनूमा आकार में स्थित है, जो कि भवन निर्माण में काफी खर्चीली प्रतीत होती है।
3. प्रस्तावित भूमि के बाजार एरिया से काफी दूर स्थित है।
4. प्रस्तावित भूमि के आस–पास निरीक्षण के दौरान पर्याप्त पेजयल की अनुपलब्धता पायी गयी।

अतः प्रस्तावित भूमि उपरोक्त कारणों के मध्येनजर अनुपयुक्त प्रतीत होती है, जिस कारण सिविल जज रानीखेत के न्यायालय भवन हेतु ग्राम बगूना चक के गैर ज0वि0ख0खा0संख्या 47श्रेणी 9(3)ड़ मध्ये 0.950है0 चयनित भूमि का प्रस्ताव निरस्त किया जाता है।

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र- दुगौड़ा
तहसील- रानीखेत (अल्मोड़ा)

Manisha 03/02/2023
तहसीलदार
रानीखेत
जनपद अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

(शिवानी नाहर)
सिविल जज/न्यायिक मजि०

प्रेषक,

संयुक्त मजिस्ट्रेट
रानीखेत ।

सेवा में,

जिला अधिकारी,
अल्मोड़ा।

संख्या 525 (मु0)/मानीटरिंग-सेल/2023 दिनांक 27 फरवरी,2023

विषय - **दिनांक 24/12/2022 को सम्पन्न मानीटरिंग सेल की बैठक में लिये गये निर्णयों के कियान्वयन के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2785/अठारह-जे.ए. (मा.से.) /2019-20 दिनांक 23 जनवरी 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें । जिसके माध्यम से दिनांक 24/12/2022 को सम्पन्न मानीटरिंग सेल की बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 01 के अनुपालन हेतु सिविल जज रानीखेत के न्यायालय के निर्माण हेतु वन भूमि के हस्तान्तरण प्रकिया के लम्बित रहने के दौरान 10 कि. मी. की परिधि में सामान्तरण रूप से भूमि का चयन कर या पूर्व में खाद्य विभाग हेतु प्रस्तावित भूमि जिसका हस्तान्तरण नहीं हुआ है अथवा अन्य गौचर भूमि का चयन कर न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, रानीखेत से भूमि का निरीक्षण करवाकर भूमि की उपर्युक्तता सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

प्राप्त निर्देशो के अनुपालन में तहसीलदार रानीखेत से जॉच करायी गयी जॉच आख्या निम्नवत् है:-

तहसील रानीखेत अन्तर्गत ग्राम बगूना चक के गैर ज.वि. खतौनी खाता संख्या 47 बहसर नम्बर 06 मध्ये 0.950 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित कर मौका नक्शा, मौका खसरा एंव खतौनी नकल उपलब्ध करायी गयी, मौके पर माननीय सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय की उपस्थिति में संयुक्त निरीक्षण किया गया । प्रस्तावित भूमि तहसील मुख्यालय से 25 कि.मी. दूर एंव जिला मुख्यालय एंव अन्य तहसीलों एंव न्यायालयों से काफी दुरी पर स्थित होने एंव प्रस्तावित भूमि ढालुनुमा आकार में स्थित होने के कारण तथा पर्याप्त पेयजल की अनुपब्धलता के कारण चयनित भूमि का प्रस्ताव निरस्त किया गया तदोपरान्त राजस्व क्षेत्र ताड़ीखेत के ग्राम पथुली में स्थित प्रेम विद्यालय की भूमि जो श्रेणी 1(क) में दर्ज है के सम्बन्ध में प्रेम विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रेम विद्यालय की भूमि सी.बी.एस.ई. बोर्ड को दे दी गयी है। प्रेम विद्यालय अन्तर्गत वर्तमान में एक मुश्त 50 नाली भूमि उपलब्ध नहीं है।

अतः जॉच आख्या सादर सेवा में प्रेषित।

भवदीय,

(जय किशन)
संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 रानीखेत को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत।

कार्यालय तहसीलदार रानीखेत

संख्या-534/र.का.-भूमि चयन/2022-23 दिनांक 10 फरवरी 2023

सेवा में,

संयुक्त मजिस्ट्रेट
रानीखेत ।

विषय - दिनांक 24/12/2022 को सम्पन्न मानीटरिंग सेल की बैठक में लिये गये निर्णयों के कियान्वयन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जिला मजिस्ट्रेट महोदय अल्मोड़ा के पत्र संख्या 2785/अठारह-जे.ए. (मा.से.)/2019-20 दिनांक 23 जनवरी 2023 के सन्दर्भ में अपने पृष्ठांकित आदेश दिनांक 30/01/2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें । जिसमें दिनांक 24/12/2022 को सम्पन्न मानीटरिंग सेल की बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 01 के अनुपालन हेतु सिविल जज रानीखेत के न्यायालय के निर्माण हेतु वन भूमि के हस्तान्तरण प्रकिया के लम्बित रहने के दौरान 10 कि.मी. की परिधि में सामान्तरण रूप से भूमि का चयन कर या पूर्व में खाद्य विभाग हेतु प्रस्तावित भूमि जिसका हस्तान्तरण नहीं हुआ है अथवा अन्य गौचर भूमि का चयन कर न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, रानीखेत से भूमि का निरीक्षण करवाकर भूमि की उपर्युक्तता सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है। प्रश्नगत प्रकरण में क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षकों से जांच करायी गयी । क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षकों की जांच आख्या के अनुसार तहसील रानीखेत अन्तर्गत ग्राम बगूना चक के गैर ज.वि. खतौनी खाता संख्या 47 बहसर नम्बर 06 मध्ये 0.950 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित कर मौका नक्शा, मौका खसरा एंव खतौनी नकल क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक दुगौड़ा द्वारा तैयार कर प्रस्ताव इस कार्यालय का उपलब्ध कराया गया है। जिस पर माननीय सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय की उपस्थिति में संयुक्त निरीक्षण किया गया । प्रस्तावित भूमि तहसील मुख्यालय से 25 कि.मी. दूर एंव जिला मुख्यालय एंव अन्य तहसीलों एंव न्यायालयों से काफी दुरी पर स्थित होने एंव प्रस्तावित भूमि ढालुनुमा आकार में स्थित होने के कारण तथा पर्याप्य पेयजल की अनुपब्धलता के कारण चयनित भूमि का प्रस्ताव निरस्त किया गया तत्पश्चात् राजस्व उपनिरीक्षक ताड़ीखेत से भी सिविल जज रानीखेत के न्यायालय के निर्माण हेतु प्रस्ताव लिया गया । राजस्व उपनिरीक्षक ताड़ीखेत की आख्या के अनुसार ग्राम पथुली पटवारी क्षेत्र ताड़ीखेत में स्थित प्रेम विद्यालय की भूमि श्रेणी 1(क) में दर्ज है। प्रेम विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रेम विद्यालय की भूमि सी.बी.एस.ई. बोर्ड को दे दी गयी है। प्रेम विद्यालय अन्तर्गत वर्तमान में एक मुश्त 50 नाली भूमि उपलब्ध नहीं है।

अतः राजस्व निरीक्षकों की आख्या के अनुसार तहसील रानीखेत अन्तर्गत उपरोक्तानुसार एक मुश्त 50 नाली (1.000 हैक्टेयर) भूमि उपलब्ध नहीं है। आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

प्रेषित- पत्रावली

भवदीय,

Manisha

(मनीषा मारकाना)
तहसीलदार रानीखेत ।